न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री संजय कुमार माथुर
2. प्रकरण संख्या : 15/2021
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मुख्यालय सांभरलेक जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

रामदेव पुत्र बींजा जाति नायक नि0 ग्राम डयोढी तहसील फुलेरा जिला जयपुर गैर खातेदार

–अप्रार्थी

4. निर्णय दिनांक : 21-11-2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियमावली कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम काल्या, पटवार हल्का दोबडी, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 66/2 रकबा 2.5290 हैक्टेयर किस्म बारानी 4 राजस्व रिकॉर्ड में रामदेव पुत्र बींजा जाति नायक हि0 सम्पूर्ण निवासी ग्राम डयोढी तहसील फुलेरा जिला जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का दोबडी, तहसील फुलेरा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार रामदेव पुत्र बींजा जाति नायक का सम्पूर्ण हिस्से पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही मौके पर कब्जा है तथा ना ही प्रार्थी ने आवंटन नियमों का पालन किया है। अतः आवंटन नियमों की शर्तो का पालन नहीं होने से उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर आवंटन निरस्त करने की आज्ञा पारित की जावे। अन्त में अनुतोष चाहा गया है कि गैर खातेदार द्वारा शर्तें भंग करने के कारण गैर खातेदारी भूमि आवंटन निरस्त कर सिवायचक घोषित करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र 14(4) प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को रजि0 डाक व नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate • JAIPUR •

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। पैरोकार सरकार की बहस एकपक्षीय सुनी गयी। पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम काल्या, तहसील फुलेरा में स्थित खसरा नम्बर 66/2 रकबा 2.5290 हैक्टेयर किस्म बारानी 4 राजस्व रिकॉर्ड में रामदेव पुत्र बींजा के नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का दोबडी, तहसील फुलेरा की रिपोर्ट के अनुसार गैर खातेदार रामदेव का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही मौके पर कब्जा है तथा ना ही प्रार्थी ने आवंटन नियमो का पालन किया है। अतः कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त भूमि को सिवायचक घोषित करने के आदेश फरमावें।

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) जयपुर

सरकार बनाम रामदेव

15/2021

पत्रावली का अवलोकन किया गया, पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। उक्त भूमि के संबंध में नामान्तकरण संख्या 359 कैम्प सांभर दिनांक 04.08.1993 आंवटन दिनांक 13.06.1969 आदेश तहसीलदार फुलेरा भू0अ0 93/3477/ दिनांक 01.08.1993 की पालना में तहसीलदार फुलेरा द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा अप्रार्थी रामदेव पुत्र बींजा के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुयी। जमाबंदी संवत 2074 के अनुसार उक्त भूमि बंजड रही है जिस पर कोई काश्त नहीं की गयी है। भूमि आवंटन नियम 14(3) में स्पष्ट रुप से आवंटन शर्तों का उल्लेख किया गया है कि आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष में आवंटित भूमि में कम से कम 50 प्रतिशत हिस्से को जोतना पडेगा और शेष को दूसरे वर्ष में। लेकिन तहसीलदार इस अवधि को 1 वर्ष तक बढा सकता है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 13.01.2021 के अनुसार आवंटी का कोई कब्जा नहीं है तथा ना ही खातेदारी अधिकार हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः तहसीलदार फुलेरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाता है तथा आवंटित भूमि साबिक खसरा नम्बर 66/2 रकबा 2.5290 है0 वाके ग्राम काल्या तहसील फुलेरा को सिवायचक घोषित कर गैर खातेदारी से पुनः राजकीय खाते में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 21.11.2025 को सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार माथुर)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर